**धारा 80 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत नोटिस**

**(Notice u/sec. 80 CPC)**

**केन्द्रीय सरकार को सुरक्षा विभाग के सचिव के माध्यम से नोटिस**

प्रेषक

 ………………..

अधिवक्ता

सेवा में,

 सचिव

 सुरक्षा मंत्रालय

 नई दिल्ली

प्रिय महोदय,

अपने व्यवहारी श्री ............ पुत्र ............ निवासी ............ वेतन भुगतान एकाउण्ट नंबर ............ की ओर से और उसके निर्देशानुसार मुझे आपको निम्नांकित नोटिस निम्न प्रस्तरों में वर्णित, प्रेषित करना पड़ रहा है।

1. यह कि मेरा व्यवहारी ............ के पद पर कमान्डिंग आफीसर के कार्यालय में नियुक्त किया गया था जो इस समय रु० ............ वेतन तथा रु० ............ मय किराया कुल रु० ............. आहरित कर रहा है।
2. यह कि मेरा व्यवहारी लगन और निष्ठा के साथ अपनी डयूटी अदा कर रहा है और कुछ भा ना तो ऐसा किया है ना ही कोताही बरती गई है जिससे उसकी सेवा पर कोई कलंक लग सके।
3. यह कि दुर्भाग्यवश तत्कालीन कमान्डिंग आफीसर ............ द्वारा मेरे व्यवहारी के विरुद्ध एक सख्त दृष्टिकोण अपना लिया गया है जिस कारण से वह अधिक घरेलू कार्य करने में अस्थिर हा गया और दिनांक ............ को मेरे व्यवहारी को एक चेतावनी दी गई थी कि चूँकि उसके द्वारा भादशा का पालन नहीं किया गया तो उसे सेक्शन कमान्डर के आदेशों का पालन करना पड़ेगा।
4. यह कि उक्त आरोप जो कि मेरे व्यवहारी पर लगाया गया सरासर झूठा था और स्वाभाविक पस मेरे व्यवहारी द्वारा इसका विरोध भी किया गया था जिसमें उसे अनचाही परिस्थिति से भिडना या परन्तु दुर्भाग्यवश स्थिति और बिगड़ गई और उसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कमांडिंग वारा चार्जशीट पेश करते हुए पत्रांक ............ दिनांक प्रदान कर दिया गया जिसमें भ्रष्टाचार का और कर्त्तव्यपालन में असावधानी बरतने के आरोप लगाये गये थे।
5. यह कि कतिथ चार्जशीट जो कि मेरे व्यवहारी के विरुद्ध निर्गत की गई थी सरासर यी भार उसके द्वारा सही उत्तर उस चार्जशीट के सम्बन्ध में प्रेषित कर दिया गया था और ग्रुप कमान्डिंग आफीसर द्वारा दिनांक ............. को अंतत: उक्त आरोपों की गम्भीरता को महसूस करते हुए आरोप को वापिस ले लिया गया था।
6. यह कि कमांडिंग आफीसर द्वारा मेरे व्यवहारी को सर्विस से पृथक करने की, अपनी कोशिश असफल होने के कारण पत्रांक .......... दिनांक ......... द्वारा उसी सेवा प्राप्त कर दी गई जो कि एक महीने का नोटिस देने के उपरान्त, “विभाग द्वारा आपकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है", लिखकर दिया गया है।
7. यह कि मेरे व्यवहारी की सेवा समाप्ति का उक्त आदेश सरासर अवैधानिक दुर्भावनापूर्वक, अधिकार से परे है।

**पुष्टि में कुछ तथ्य निम्न प्रकार हैं**

(क) चूँकि मेरे व्यवहारी की सेवायें सद्भावना पूर्ण तरीके से न समाप्त कर दण्ड स्वरूप समाप्त की गई।

(ख) चूँकि मेरे व्यवहारी की सेवायें दुर्भावना पूर्वक इस आधार पर समाप्त की गई हैं कि उनके ऊपर लगाये गये आरोप झूठे थे जो सिद्ध नहीं हो सके और यह नोटिस इसीलिए प्रेषित है कि झूठे आरोपों के आधार पर सेवा समाप्ति की स्वाभाविक कठिनाई को समाप्त किया जा सके।

(ग) यह कि मेरे व्यवहारी का सेवा से पृथक किया जाना अनावश्यक लांछन पर आधारित है जिसके लिए वह दोषी नहीं है और जो इस आधार पर न मानने योग्य है।

(घ) चूँकि मेरे व्यवहारी की सेवायें केवल इस आधार पर समाप्त की गई हैं कि तत्कालीन कमाण्डिंग आफीसर का घरेलू कार्य नहीं कर सका जो सरकारी डयूटी से अलग और उसके अतिरिक्त था।

(य) चूँकि मेरे व्यवहारी द्वारा तीन वर्ष से अधिक सेवा कर ली गई थी जिससे वह अर्ध स्थाई कर्मचरी बन गया है।

(छ) यह कि मेरे व्यवहारी को दिया गया नोटिस सरासर गैर कानूनी और निष्प्रभावी है और उसकी सेवायें कानूनी तरीके से नियमानुसार समाप्त नहीं की गई।

(ज) चूँकि मेरे व्यवहारी को सुनवाई का कोई उचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया।

1. यह कि उपरोक्त कारणों से मेरे व्यवहारी की सेवायें वैधानिक रीति से समाप्त नहीं की गई और ना ही सेवा समाप्त करने का कोई उचित कारण है । इस प्रकार से मेरा व्यवहारी सेवा में बने रहने का अधिकारी है और पूर्व की भाँति सरकारी सेवा में ही समझा जायेगा।
2. यह कि मेरा व्यवहारी पूर्व की भाँति ही अपना वेतन आदि पाने का भी अधिकारी है ! \_\_\_ इसलिए आपको धारा 80 सी० पी० सी० के अन्तर्गत यह नोटिस प्रेषित करते हए यह अपेक्षा की जाती है कि सरकार मेरे व्यवहारी की सेवायें समाप्त न करके अच्छा कार्य करेगी और उसे पूर्व की भाँति ही सेवा में बने रहने की आज्ञा प्रदान करेगी और उसे वेतन आदि का भगतान किया जाएगा जिसके नोटिस प्राप्त के दो माह के अन्दर विफल होने पर दो माह के व्यतीत हो जाने पर मेरे व्यवहारा को उपरोक्त अनुतोष प्राप्त करने हेतु, उपरोक्त वाद हेतु, के आधार पर सरकारी हर्जे खर्चे पर वाद दायर करते हुए विवश होना पड़ेगा जिसके लिए पूर्ण रूप से सरकार उत्तरदायी होगी।

**दिनांक ............ स्थान …… आपका विश्वसनीय**

 **………………………..**

 **अधिवक्ता**